प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 09.12.2024

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस द्वारा गाडी को तेजी व लापरवाही से चलाकर एक्सीडेन्ट करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 08.12.2024 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर वादी द्वारा लिखित सूचना दी गयी जिसमें आरोपित किया गया कि गाडी नं0 UP23T6641 के चालक नाम पता अज्ञात द्वारा गाडी को तेजी व लापरवाही से चलाकर वादी की पत्नी व सास को टक्कर मारकर गम्भीर रुप से घायल कर देना तथा उपचार के दौरान वादी की सास की मृत्यु हो जाना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त व दुर्घटना में प्रयुक्त गाडी की तलाश हेतु थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक से टीम का गठन किया गया। उपरोक्ट रोड एक्सीडेन्ट की घटना में प्रयुक्त गाडी नं0 UP23T6641 को कब्जे में लिया गया तथा विवेचना के दौरान घटना कारित करने वाले चालक सतीश पुत्र करन सिंह निवासी सैन विहार थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद का नाम प्रकाश में आया।

तत्पश्चात दिनांक 08.12.2024 को उपरोक्त घटना कारित करने वाले अभियुक्त चालक सतीश पुत्र करन सिंह निवासी सैन विहार थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद, उम्र करीब 50 वर्ष को मुखबिर की सूचना पर थाना क्षेत्र क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्त ने पूछताछ पर रोड एक्सीडेन्ट की घटना को स्वीकार करते हुए बताया कि मैं किसी काम से गाडी नं0 UP23T6641 से क्रॉसिंग गोल चक्कर के पास आया था तथा मैं जल्दी में था कि अचानक रोड के किनारे दो महिलायें आ गयी, मेरी गाडी तेज होने के कारण मैं गाडी को कन्ट्रोल नही कर पाया और उन दोनों को टक्कर लग गयी जिससे दो महिलाऐ गम्भीर रुप से घायल हो गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

सतीश पुत्र करन सिंह निवासी सैन विहार थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद, उम्र करीब 50 वर्ष।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

अभियुक्त के विरुद्ध थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर रोड एक्सीडेन्ट के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा थाना विजयनगर पर बलवा व एससी/एसटी एक्ट तथा आयुध अधिनियम के कुल 02 अभियोग पंजीकृत हैं। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम।

क्राइम ब्रान्च पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा अवैध शराब की तस्करी करने वाले अन्तर्राज्यीय गिरोह का शातिर शराब तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 12 लाख रूपये कीमत की अवैध अग्रेजी शराब आईसर कैन्टर सहित बरामद

दिनांकः 09.12.2024 को क्राईम ब्रान्च पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा चंडीगढ, पंजाब की अवैध अग्रेंजी शराब की तस्करी करने वाले अन्तर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए गिरोह के 01 शातिर अन्तर्राज्यीय शराब तस्कर को अवैध शराब से भरी आईसर कैन्टर सहित थाना मधुबन बापूधाम गाजियाबाद क्षेत्र से गिरफ्तार करने मे महत्तवपूर्ण सफलता हासिल की गयी है। आईसर कैन्टर में चंडीगढ, पंजाब से तस्करी कर लाई जा रही कुल 210 पेटी ईम्पीरियल ब्लू व ओल्ट हैबिट मार्का अवैध अग्रेजी शराब बरामद हुई। बरामद शराब की अनुमानित कीमत लगभग 12 लाख रू0 है।

<u>पूछताछ का विवरण-</u> पूछताछ पर अभियुक्त अशोक कुमार ने बताया कि वह 5 वीं पास है। पढाई छोडने के बाद उसने ट्रक ड्राईवरी सीखी और फरीदाबाद, गुरूग्राम, दिल्ली रूट पर ट्रक ड्राईविंग का काम करने लगा। ट्रक ड्राईविंग के दौरान ही करीब 5-6 वर्ष पहले अशोक एक शराब तस्कर नरेश जो रेवाडी हरियाणा का रहने वाला है के सम्पर्क मे आया जो बिहार सरकार द्वारा अपने राज्य मे शराब की बिक्री बैन किये जाने के कारण हरियाणा, पंजाब व हिमाचल प्रदेश से अवैध शराब तस्करी करके बिहार सप्लाई करता था, जिसमें उसको काफी फायदा होता था उसको ऐसे विश्वसनीय ड्राईवर की आवश्यकता थी जो उसके शराब की तस्करी की गाडियों को बिहार तक सकुशल पहुँचा सके। शराब तस्करी के काम मे ज्यादा आमदनी होने के कारण अशोक लालचवश नरेश के साथ अवैध शराब तस्करी का काम करने लगा तथा हरियाणा, पंजाब व हिमाचल प्रदेश से अवैध शराब को तस्करी करके बिहार पहुँचाने लगा। बिहार राज्य मे शराब तस्करी करने के प्रत्येक चक्कर अशोक को रू0 25,000/- मिलते थे। शराब तस्करी करने मे अशोक पहली बार बनारस से जेल गया था, जेल से छूटने के बाद पुनः शराब तस्करी मे लिप्त हो गया, शराब तस्करी में पूर्व में बनारस के अतिरिक्त चन्दौली व गाजीपुर से भी अवैध शराब की तस्करी में जेल जा चुका है। अशोक ने बताया कि अवैध शराब के साथ पकडा गया आयसर कैंटर नरेश ने खरीद रखा है। पूछताछ पर यह भी बताया कि नरेश ही बिहार की पार्टियों को जानता है। अशोक व नरेश हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश की बनी हुई शराब को आईसर कैन्टर में नीचे लोड करके उसके ऊपर खाद, नमक, मुर्गी के दाने इत्यादि की बोरियों को लाद देते है और तिरपाल से ढककर बाँध देते है। शराब से लदी गाडी को तस्करी के लिए लेकर चलने से पहले ये लोग अपने-अपने मोबाइल बन्द कर लेते है तथा नरेश एक छोटी गाडी से आईसर कैन्टर के थोडा आगे या पीछे रहकर बिहार तक जाता है, इस बार भी नरेश शराब की गाडी के साथ में था जिसकी तलाश की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त अशोक अवैध शराब तस्करी करने से मिले रूपयों से अपने घर के खर्चे व अपने शौक पूरे करता है।

अभियुक्त से पूछताछ पर अवैध शराब के बिक्री व तस्करी करने वाले अपराधियों के सम्बन्ध में कई अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिली हैं। जिसके आधार पर टीमें बनाकर अवैध शराब की बरामदगी व अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु दबिशें दी जा रही हैं। निश्चित रूप से इस प्रकार की पुलिस कार्यवाही से अवैध शराब की तस्करी व उससे होने वाली राजस्व की हानि पर निश्चित रूप से रोक लगेगी।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-</u>

1.अशोक कुमार पुत्र खजान सिंह निवासी ग्राम सुखदेवपुर थाना कपूरपुर जनपद-हापुड उम्र करीब 50 वर्ष

<u>अभियुक्तगण से बरामदगी का विवरण</u> –

1.चंडीगढ की अवैध अंग्रेजी शराब -210 पेटी (ईम्पीरियल ब्लू व ओल्ड हैबिट रम)

2.आईसर कैन्टर 6 टायरा नम्बर- UP 25DT 5693

<u>आपराधिक इतिहास-</u>

अभियुक्त अशोक कुमार के विरूद्ध बनारस में 01, चन्दौली में 01, गाजीपुर में 01 व गाजियाबाद मे 01 कुल 04 अभियोग अवैध शराब तस्करी के सम्बन्ध में पंजीकृत हैं।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1.क्राइम ब्रान्च पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद

2.थाना मधुबन बापूधाम पुलिस टीम

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस द्वारा रास्ता भटक गये बुजुर्ग को सकुशल परिजनों के सुपुर्द किया।

दिनांक 08/09.12.2024 की रात्रि में चीता-77 द्वारा रात्रि गस्त की जा रही थी तभी सुपरटैक सोसायटी के पास एक बुजुर्ग व्यक्ति उम्र करीब 83 वर्ष घूमते हुए मिले जो काफी बुजुर्ग होने के कारण रास्ता भटक कर थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र में आ गये थे, जिनके बारे में जानकारी करने पर पता चला कि वह जिला बुलन्दशहर के रहने वाले हैं। बुजुर्ग को उनके परिजनों से मिलाने के लिए थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक से टीम का गठन किया गया तथा थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा बुजुर्ग के परिजनों से सम्पर्क किया गया। तत्पश्चात आज दिनांक 09.12.2024 को बुजुर्ग के परिजन सूचना पाकर थाने पर आये तथा परिजन बेटा व दामाद ने उन्हें देखकर पहचान लिया तथा बुजुर्ग को उनके परिजनों के सकुशल सुपुर्द किया गया। बुजुर्ग के मिलने पर परिजनों में खुशी का माहौल है।

जानकारी करने पर पता चला कि बुजुर्ग अपनी बेटी के यहां गौतमबुद्धनगर आये थे, जो वहां से अपने पुत्र के घर के लिए गाजियाबाद के लिए निकले थे। इसी बीच वे रास्ता भटक गये तथा अपने परिजनों से सम्पर्क नहीं कर पाये थे।